



अन्तिम डिक्री

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 609 / 2024

1. नूरनबी पुत्र शाह मोहम्मद उर्फ शान जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मोहब्बत अली पुत्र शाह मोहम्मद उर्फ शान जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. मुख्त्यार सिंह पुत्र शिवजी जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. केहर सिंह पुत्र श्योलाल जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

-वादीगण

1. मनजीत कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति अराई निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुरेश रानी पत्नी सरजीत जाति अराई निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 3/1 बरकत अली पुत्र शाह मोहम्मद
- 3/2 अशकर अली पुत्र शाह मोहम्मद
- 3/3 शौकत अली पुत्र शाह मोहम्मद
- 3/4 कुरेशा पुत्री शाह मोहम्मद
- 3/5 मीना बाई पुत्री शाह मोहम्मद
- 4/1 शकील खां पुत्र बलार मोहम्मद
- 4/2 गुलजारा पुत्री बलार मोहम्मद
- 4/3 रजो पुत्री बलार मोहम्मद
5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा लीलावाली
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

जाति समस्त मुसलमान  
निवासीगण मानकसर  
तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 19.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हरबंश सिंह झोरड़ वकील वादी व श्री परविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिन जामिन मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है :-

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

1. नूरनबी पुत्र शाह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मानकसर  
चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 223/217  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
157/224 2 20/0.190, 21/0.120  
कुल 0.310 है. नहरी

2. मोहब्बत अली पुत्र शाह मोहम्मद जाति मुसलमान सा. मानकसर  
चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 223/217  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
157/224 2 21/0.133 है  
156/224 1 25/1/0.051 है.  
156/225 21 5/1/0.126 है.  
कुल 0.310 है. नहरी

3. अशकर अली, कुरेशा बी, जमीला, बरकत अली, बागा बी, मीना बाई, वकीला, शौकत अली, सपैया,  
पुत्र/पुत्री शाह मोहम्मद ब.हि.ब. जाति मुसलमान सा. मानकसर  
चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 223/217  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
156/225 21 5/1/0.064 है., 7/1/0.139 है.,  
13/1/0.151 है., 14/2/0.177 है.  
कुल 0.431 है. नहरी।

4. नूरनबी, मोहब्बत अली पि० शाह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मानकसर  
चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 425/41  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
156/225 21 6/0.253 है., 14/1/0.076, 15/0.253 है.  
157/225 20 16/0.127, 17/0.253 है., 18/0.240 है.  
11/0.143 है.  
कुल 1.345 है. नहरी

5. अशकर अली, कुरेशा बी, जमीला, बरकत अली, बागा बी, मीना बाई, वकीला, शौकत अली, सपैया,  
पुत्र/पुत्री शाह मोहम्मद ब.हि.ब. 0.732 है. बलार मोहम्मद दत्तक पुत्र नवाबदीन 0.896 है. जाति  
मुसलमान सा. मानकसर  
चक नं. 16 एम. के. एस. खाता सं. 425/41  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
157/224 2 19/0.253 है., 22/0.253 है.  
157/225 20 1/0.253 है., 2/0.253 है., 9/0.253 है.,  
10/0.253 है. 11/0.110 है.  
कुल 1.628 है. नहरी बारानी

6. केहर सिंह पुत्र श्योलाल जाति अराई सा. मानकसर  
चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 425/41  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
156/226 23 3,4/0.253 है. प्रत्येक  
कुल 0.506 है.।

7. मुख्त्यार सिंह पुत्र शिवजी जाति अराई सा. मानकसर  
चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 425/41  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
156/226 21 25/0.126 है.  
156/226 23 5/0.253 है.

157 / 226

24

1 / 0.253 है.

कुल 0.632 है. बारानी 1

8. सुरेश रानी पत्नी सरजीत सिंह, मनजीत कौर पत्नी जसवीर सिंह ब.हि.ब. जाति अराई सा. लीलावाली

चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 425 / 41

प.नं.

मु.नं.

कि.नं.

156 / 225

21

16 / 0.126 है. 24 / 0.253 है. 25 / 0.127 है.

157 / 225

20

20 / 0.253, 21 / 0.253 है.

कुल 1.012 है. बारानी 1

9. पूजा रानी पत्नी पवन कुमार जाति कुम्हार सा. लीलावाली

चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 425 / 41

प.नं.

मु.नं.

कि.नं.

156 / 225

21

23 / 0.253

कुल 0.253 है. बारानी 1

नोट :-अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2025/3424 दिनांक 21.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा

शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.5.2026 को जारी किया



( जय कौशिक )  
सहायक कुलकर्णी एवं  
महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया